प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ: माननीय डॉ. आई.एम. कुद्दूसी, एवं माननीय श्री जी. मिन्हाजुद्दीन, न्यायाधीश

प्रथम अपील (वैवाहिकी) क्रमांक : 91 वर्ष 2010

अपीलकर्ता (वादी): डॉ. अरविंद शर्मा

बनाम

प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थी) :श्रीमती किरण शर्मा

विचारण हेतु निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही –

जी. मिन्हाजुद्दीन

न्यायाधीश

दिनांक: 17.3.2012

माननीय डॉ. आई.एम. कुद्दूसी, न्यायाधीश

सही –

डॉ. आई.एम. कुद्दूसी

न्यायाधीश

निर्णय हेतु सूचिबद्ध दिनांक 15 मार्च 2012

सही –

डॉ. आई.एम. कुद्दूसी

न्यायाधीश

14 मार्च 2012

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठः माननीय डॉ. आई.एम. कुद्दूसी, एवं माननीय श्री जी. मिन्हाजुद्दीन, न्यायाधीश

प्रथम अपील (वैवाहिकी) क्रमांक : 91 वर्ष 2010

अपीलकर्ता (वादी): डॉ. अरविंद शर्मा

बनाम

प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थी) :श्रीमती किरण शर्मा

उपस्थितः श्री पवन केशरवानी, अपीलकर्ता के अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं, यद्यपि नोटिस की तामीली की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(दिनांक 15 मार्च, 2012 को उद्घोषित)

प्रति जी. मिन्हाजुद्दीन, न्यायाधीश.

1. यह अपील कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जो कुटुंब न्यायालय, रायपुर के प्रधान न्यायाधीश द्वारा दिनांक 29.6.2010 को पारित निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जो व्यव्हार वाद क्रमांक 400-ए/2010 में पारित की गई थी, जिसके द्वारा अपीलकर्ता/वादी द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह-विच्छेद की प्रार्थना, अभित्यजन एवं क्रूरता के आधार पर की गई आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया था।

2. **आछेपित तथ्य नहीं हैं कि पक्षकारों के बीच विवाह दिनांक** 3.12.1988 **को हिंदू रीति-रिवाजों और संस्कारों के अनुसार संपन्न हुआ था तथा उनके वैवाहिक संबंध से दो संतानें हुईं**, **अर्थात् एक पुत्री कु**. **श्रुतिका शर्मा तथा एक पुत्र शांतनु शर्मा**, **जो आवेदन प्रस्तुत करने के समय क्रमशः** 18 **एवं** 15 **वर्ष की आयु के थे।** प्रत्यर्थी /पत्नी द्वारा अपीलकर्ता/पति के विरुद्ध कुटुंब न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण-पोषण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। प्रत्यर्थी /पत्नी ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा संबंधित पुलिस थाने में शिकायतें दर्ज की थीं, जिसमें अपीलकर्ता/पति पर उसके द्वारा उसके प्रति शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता करने का आरोप लगाया गया था।

3. अपीलकर्ता/वादी का मामला, जैसा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदन में प्रस्तुत किया गया है, यह है कि पक्षकारों के बीच विवाह दिनांक 3.12.1988 को संपन्न हुआ था तथा उनके वैवाहिक संबंध से पुत्री कु. श्रुतिका शर्मा तथा पुत्र शांतनु शर्मा का जन्म हुआ था। अपीलकर्ता तथा प्रत्यर्थी दोनों एक-दूसरे के प्रति अपने वैवाहिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। हालांकि अचानक प्रत्यर्थी /पत्नी ने अपीलकर्ता/पति को मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जब भी अपीलकर्ता घर लौटता था तो प्रत्यर्थी घर का दरवाजा नहीं खोलती थी और उसे गाली-गलौज करती थी। वह उसे उसके वैवाहिक अधिकारों से वंचित रखती थी तथा जब वह शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा व्यक्त करता था तो वह शारीरिक संबंध स्थापित करने से इंकार कर देती थी तथा क्रूर एवं अपमानजनक व्यवहार करती थी। प्रत्यर्थी /पत्नी सास-ससुर के प्रति हमेशा लापरवाह एवं उदासीन रहती थी तथा कहती थी कि वह और अपीलकर्ता एक ही छत के नीचे साथ नहीं रह सकते। प्रत्यर्थी ने सास के सामने मंगलसूत्र तोड़ दिया था तथा अपीलकर्ता के कुटुंब की सामाजिक एवं पारिवारिक छवि को खराब करने का प्रयास करती थी। प्रत्यर्थी ने दिनांक 9.2.2008 को अपीलकर्ता पर हमला किया तथा अपनी मंशा स्पष्ट की कि वह उसके साथ पति-पत्नी के रूप में एक ही छत के नीचे नहीं रह सकती। प्रत्यर्थी ने अपीलकर्ता को मारने की मंशा से तथा उसके बाद अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उसके इच्छा के विरुद्ध ऐसी दवाइयाँ दीं जो उसके स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए हानिकारक थीं। हालांकि बिना किसी कारण के उसने कुटुंब न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण-पोषण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जबकि अपीलकर्ता ने कभी भी उसे (प्रत्यर्थी) तथा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उसके बच्चों का भरण-पोषण करने से इंकार या उपेक्षा नहीं की थी। अपीलकर्ता एक श्रेणी-1 अधिकारी है तथा अपनी छवि को नीचा दिखाने एवं कलंकित करने की मंशा से प्रत्यर्थी /पत्नी ने निराधार आरोप लगाते हुए राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा पुलिस थाने में उसके विरुद्ध शिकायतें दर्ज कीं। दिनांक 9.2.2008 से प्रत्यर्थी /पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है तथा अपीलकर्ता की संगत को अभित्यजन कर चुकी है। प्रत्यर्थी /पत्नी के उपरोक्त आचरण के आधार पर अपीलकर्ता/पति ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अंतर्गत अभित्यजन एवं क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह-विच्छेद हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था।

4. प्रत्यर्थी /पत्नी ने लिखित कथन प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने अपीलकर्ता द्वारा उसके विवाह विच्छेद के आवेदन में लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। उसने यह कहा है कि विवाह दिनांक 3.12.1988 को संपन्न होने के तुरंत बाद से अपीलकर्ता/पति ने उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करना शुरू कर दिया था। वह उसके नैतिक चरित्र पर झूठे आरोप लगाता था तथा जादू-टोना करने का आरोप लगाता था। उसने कहा है कि दिनांक 9.2.2008 को अपीलकर्ता ने उसे पीटा था तथा उसके बाद से वह घर छोड़कर अलग रह रही है। उसने यह भी कहा है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा पुलिस थाने के थाना प्रभारी के समक्ष की गई शिकायतें निराधार नहीं थीं, बल्कि सत्य तथ्यों पर आधारित थीं। प्रत्यर्थी के अनुसार पिछले 19 वर्षों से अपीलकर्ता द्वारा उसका उत्पीड़न किया जा रहा था तथा यदि वह उसके साथ रहती है तो उसे अपनी जान-माल का खतरा है, इसलिए अब वह अपीलकर्ता के साथ नहीं रहना चाहती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. विद्वान् कुटुंब न्यायालय ने संबंधित पक्षकारों को सुनने के पश्चात् तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री की सूक्ष्म जांच के पश्चात् आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री द्वारा अपीलकर्ता/वादी के हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदन को अभित्यजन एवं क्रूरता के आधार पर विवाह के विघटन हेतु अस्वीकृत कर दिया था।

6. अपीलकर्ता/वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया, अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री का भी परिशीलन किया गया।

7. इस अपील में मुख्य प्रश्न यह तय करना है — क्या प्रत्यर्थी /पत्नी ने अपीलकर्ता/पति के प्रति क्रूरता करित की है तथा दिनांक 9.2.2008 से अलग रह रही

है तथा इस प्रकार बिना किसी उचित एवं युक्तिसंगत कारण के अपीलकर्ता की संगत को अभित्यजन कर दिया है?

8. अपीलकर्ता/पति ने विवाह विच्छेद के आवेदन में किए गए अपने कथनों के समर्थन में स्वयं को तथा अपने पिता दयाराम शर्मा को क्रमशः अ.सा -1 तथा अ.सा -2 के रूप में परीक्षित किया है। जबकि प्रत्यर्थी /पत्नी ने अपने लिखित कथन के समर्थन में स्वयं को तथा अपनी पुत्री श्रुतिका शर्मा को क्रमशः प्र.सा.-1 तथा प्र.सा.-2 के रूप में परीक्षित किया है। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी /पत्नी ने दस्तावेज दाखिल किए हैं अर्थात् चिकित्सा प्रमाण-पत्र (प्रदर्श डी/1) तथा प्रत्यर्थी द्वारा पुलिस थाना गोल बाजार में की गई शिकायत की फोटोकॉपी (प्रदर्श डी/2)।

9. अपीलकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रत्यर्थी उसे तथा उसके माता-पिता को गाली-गलौज करती थी तथा दुर्व्यवहार करती थी। जब भी अपीलकर्ता प्रत्यर्थी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा व्यक्त करता था तो वह हमेशा शारीरिक संबंध स्थापित करने से इंकार कर देती थी तथा धमकी देती थी कि वह उसे बलात्कार के मामले में फंसाएगी तथा इस प्रकार उसके प्रति क्रूरता की है। प्रत्यर्थी ने बिना किसी कारण के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण-पोषण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तथा राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा पुलिस थाने में अपीलकर्ता पर उसके प्रति मानसिक एवं शारीरिक क्रूरता करने के झूठे आरोप लगाते हुए शिकायतें कीं। अपीलकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रत्यर्थी ने उसे मारने की मंशा से भोजन के माध्यम से कुछ जहरीला पदार्थ मिलाकर दिया था ताकि उसकी मृत्यु के बाद उसे अनुकंपा नियुक्ति मिल सके। उसने आगे यह भी आरोप लगाया है कि प्रत्यर्थी के कुछ व्यक्तियों के साथ अवैध संबंध हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. जहाँ तक प्रत्यर्थी द्वारा अपीलकर्ता को गाली-गलौज करने तथा उसे तथा उसके माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप का संबंध है, अपीलकर्ता ने इसे सिद्ध करने के लिए अपने पिता दयाराम को अ.सा -2 के रूप में परीक्षित किया है। हालांकि दयाराम (अ.सा -2) का साक्ष्य विश्वास उत्पन्न नहीं करता क्योंकि अपीलकर्ता के अनुसार मारपीट तथा मंगलसूत्र तोड़ने आदि की घटना दिनांक 9.2.2008 को हुई थी, जबकि दयाराम (अ.सा -2) ने कहा है कि उपरोक्त घटना दिनांक 15.3.2008 को हुई थी। इसके अतिरिक्त अपीलकर्ता ने यह नहीं कहा है कि उपरोक्त घटना के समय प्रत्यर्थी ने अपशब्द कहे थे, जबकि दयाराम (अ.सा -2) ने कहा है कि उपरोक्त घटना के समय प्रत्यर्थी अपीलकर्ता को गाली दे रही थी तथा उसके बाद वह अपने

कुत्ते तथा दोनों बच्चों के साथ वहाँ से चली गई। हालांकि अपीलकर्ता ने कहीं भी, चाहे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अंतर्गत अपने आवेदन में हो या अपने साक्ष्य में, यह नहीं कहा है कि दिनांक 15.3.2008 को कोई घटना हुई थी। अतः प्रत्यर्थी /पत्नी द्वारा गाली-गलौज तथा दुर्व्यवहार करने संबंधी दयाराम (अ.सा -2) का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

11. इसके विपरीत प्रत्यर्थी ने कहा है कि विवाह के तुरंत बाद अपीलकर्ता उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करने लगा था तथा जब वह गर्भवती थी तब भी अपीलकर्ता कुछ तुच्छ मुद्दों पर उसे हाथों और मुक्कों से पीटता था। उसने आगे कहा है कि जब वे अंबिकापुर में रह रहे थे तब अपीलकर्ता ने पाइप की सहायता से उसे गला घोंटने का भी प्रयास किया था। उसने विशेष रूप से कहा है कि दिनांक 17.7.2007 को अपीलकर्ता ने उसे क्रिकेट बैट से पीटा था तथा दिनांक 7.12.2007 को लोहे के हथौड़े से उसे मारने का प्रयास किया था। दिनांक 17.7.2007 को लगी चोटों के कारण उसने स्वयं को 18.7.2007 को डॉ. शैलेंद्र उपाध्याय द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण कराया था जो प्रदर्श डी/1 है। उसने पुलिस थाना — गोल बाजार में दिनांक 9.4.2008 को शिकायत भी दर्ज की थी जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता ने उसे पीटा था। उसने उक्त शिकायत की फोटोकॉपी प्रदर्श डी/2 के रूप में दाखिल की है। यद्यपि उपरोक्त दस्तावेज प्रदर्श डी/1 तथा डी/2 को प्रत्यर्थी द्वारा डॉक्टर तथा संबंधित पुलिस थाने के किसी अधिकारी को परीक्षित कराकर सिद्ध नहीं किया गया है, तथापि प्रत्यर्थी का कथन उसकी पुत्री श्रुतिका शर्मा (प्र.सा.-2) के साक्ष्य से पुष्टि प्राप्त करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. जहाँ तक प्रत्यर्थी द्वारा अपीलकर्ता के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इंकार करने के आरोप का संबंध है, यह स्वीकृत तथ्य है कि पक्षकारों के बीच विवाह दिनांक 3.12.1988 को संपन्न हुआ था तथा उनके वैवाहिक संबंध से एक पुत्री कु. श्रुतिका शर्मा तथा शांतनु शर्मा का जन्म हुआ था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पक्षकारों के बीच वैवाहिक दायित्वों का निर्वहन हुआ था। प्रत्यर्थी ने अपने प्रतिपरीक्षण में विशेष रूप से इनकार किया है कि उसने कभी अपीलकर्ता को शारीरिक संबंधों से वंचित किया था। अपीलकर्ता भी इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है, जैसे कि प्रत्यर्थी का प्रतिपरीक्षण करके यह पूछना कि कब या किस तारीख को प्रत्यर्थी ने उसके साथ यौन संबंध स्थापित करने से इंकार किया था। इस बिंदु पर अपीलकर्ता के केवल खाली मौखिक आरोपों के अतिरिक्त अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सके कि प्रत्यर्थी अपीलकर्ता

को शारीरिक संबंधों से वंचित रखती थी। इसके अलावा प्रत्यर्थी द्वारा अपीलकर्ता को झूठे बलात्कार मामले में फंसाने की धमकी देने के आरोप के संबंध में भी अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है। अपीलकर्ता के पिता दयाराम (अ.सा -2) ने भी इस संबंध में कुछ नहीं कहा है।

13. जहाँ तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण-पोषण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का संबंध है, विद्वान कुटुंब न्यायालय ने उचित विचार-विमर्श के पश्चात् उक्त आवेदन को स्वीकार किया तथा प्रत्यर्थी /पत्नी तथा उसके बच्चों के पक्ष में अंतरिम भरण-पोषण की राशि प्रतिमाह 8000/- रुपये निर्धारित की है, जो दिनांक 28.4.2008 के आदेश द्वारा पारित किया गया था।

14. प्रत्यर्थी द्वारा राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा पुलिस थाने में शिकायतें करने के संबंध में, प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया है कि उसने उक्त शिकायतें की थीं। हालांकि उसने स्पष्ट रूप से इनकार किया है कि वे शिकायतें झूठी थीं तथा अपीलकर्ता तथा उसके कुटुंब की सामाजिक छवि को नीचा दिखाने की मंशा से की गई थीं। उसने कहा है कि विवाह के तुरंत बाद से अपीलकर्ता द्वारा उसका उत्पीड़न तथा प्रताड़ना की जा रही थी तथा वह पिछले 19 वर्षों से यह सब किसी प्रकार सहन करती आ रही थी तथा अंततः निरंतर उत्पीड़न एवं प्रताड़ना से तंग आकर उसने उपरोक्त शिकायतें दर्ज कीं तथा अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने ससुराल को छोड़ दिया तथा बच्चों के साथ अलग रह रही है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. अपीलकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रत्यर्थी ने उसे मारने की मंशा से तथा अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से भोजन के माध्यम से उसे नींद की गोलियाँ/जहरीला पदार्थ मिलाकर दे रही थी। यह आक्षेपित नहीं है कि अपीलकर्ता स्वयं पेशे से डॉक्टर है, हालांकि केवल खाली तथा मौखिक आरोप के अतिरिक्त उसने इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है तथा यह भी नहीं बताया है कि उसे कौन सी दवा दी जा रही थी।

16. अपीलकर्ता ने अपने कथन में यह भी आरोप लगाया है कि प्रत्यर्थी का मनव कुमार चक्रवर्ती के साथ अवैध संबंध है। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी के प्रतिपरीक्षण में अपीलकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसका डॉमिनिक स्टुवर्ट तथा अनिल वर्मा के साथ अवैध संबंध है। हालांकि अपीलकर्ता द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत विवाह के विघटन हेतु प्रस्तुत आवेदन में इस संबंध में एक अंश भी अभिवचन नहीं की गई है। अपीलकर्ता ने केवल खाली आरोप लगाने के अतिरिक्त

इस आरोप को सिद्ध करने के लिए कोई अन्य सुसंगत एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार पति द्वारा पत्नी के नैतिक आचरण के संबंध में झूठा आरोप लगाना निस्संदेह क्रूरता की उच्चतम श्रेणी एवं स्तर की है।

17. उपरोक्त अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विचार-विमर्श के आधार पर यह पाया जाता है कि अपीलकर्ता हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने के किसी भी आधार को स्थापित करने में पूर्णतः असफल रहा है। इसके विपरीत, अपने कथन में प्रत्यर्थी /पत्नी के नैतिक चरित्र के संबंध में झूठा आरोप लगाकर अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध क्रूरता की उच्चतम श्रेणी एवं स्तर की है। अतः अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह सिद्ध होता है कि अलग रहने के लिए प्रत्यर्थी /पत्नी के पास उचित एवं युक्तियुक्त कारण है। इस प्रकार विद्वान कुटुंब न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत करने में कोई अवैधता या त्रुटि कारित नहीं की है जिसके कारण इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

18. परिणाम में अपील विफल होती है तथा तदनुसार खारिज की जाती है। कुटुंब न्यायालय, रायपुर के प्रधान न्यायाधीश द्वारा व्यव्हार वाद क्रमांक 400-ए/2010 में दिनांक 29.6.2010 को पारित आछेपित निर्णय एवं डिक्री को पुष्टि की जाती है तथा उसे बरकरार रखा जाता है। वाद व्यय के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

19. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) तदनुसार डिक्री तैयार करेंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही

डॉ. आई.एम. कुद्दूसी

न्यायाधीश

सही

जी. मिन्हाजुद्दीन

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: ईशा तिवारी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur